<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द (छ.ग.)</u>

// आदेश //

<u>क्रमांक : 157/तीन–18–1/2023</u> <u>महासमुन्द, दिनांक 01/12/2023</u>

इस न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 01/2023 दिनांक 21.06.2023 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 03/2023 दिनांक 12.07.2023 के परिपेक्ष्य में भर्ती चयन समिति महासमुन्द की अनुशंसा दिनांक 30.11.2023 के आधार पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने कर्मचारियों (चौकीदार, वाटरमेन, स्वीपर) के पद हेतु चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को **कलेक्टर महासमुन्द द्वारा निर्धारित दर पर उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद** में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्त fd;k tkrk gS %&

क्रं.	चयनित उम्मीदवार का नाम पिता का नाम एवं पता	पद	चयनित वर्ग
1	जितेन्द्र सिन्हा पिता श्री रामलाल सिन्हा, पता– ग्राम व पोस्ट रायतुम, थाना पटेवा, जिला महासमुन्द, पिन–493551	वाटरमेन	अनारक्षित (मुक्त)
2	चन्द्रशेखर ध्रुव पिता श्री हीरालाल ध्रुव, पता–ग्राम खपरी, पोस्ट–तामासिवनी, विकासखण्ड–आरंग, जिला रायपुर पिन–493441	चौकीदार	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)
3	परितम सोनवानी पिता श्री देवसिंग सोनवानी पता–ग्राम व पोस्ट–बम्हनी, तहसील व जिला महासमुन्द (छ.ग.), पिन–493445	स्वीपर	अनुसूचित जाति (मुक्त)

<u>**टीपः–** चयनित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पदस्थापना से संबंधित आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।</u>

<u>**नियुक्ति की शर्तें –**</u>

1. उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 15 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
2. चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा । शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी ।

3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वे उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
4. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से यह प्रकट होता है कि पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
5. सेवा अवधि के दौरान कार्य, व्यवहार तथा आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।
6. उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हें तत्काल सेवामुक्त किया जा सकेगा। यदि वे स्वयं शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते की राशि शासकीय कोष में जमा कर किसी भी समय सेवा छोड़ सकेंगे ।
7. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी । आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा । अन्य विभागों में नौकरी के लिए आवेदन पत्र कार्यालय के बगैर अनुमति के प्रस्तुत नहीं करेंगे ।
8. यह नियुक्ति आदेश पूर्णतः प्राविधिक (Provisional) है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा ।

सही/–
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक /तीन–18–1/2023 महासमुन्द, दिनांक 01/12/2023

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
2. अध्यक्ष, भर्ती चयन समिति/प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द
3. जिला कोषालय अधिकारी, महासमुन्द
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द
5. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द
6. जितेन्द्र सिन्हा पिता श्री रामलाल सिन्हा, पता– ग्राम व पोस्ट रायतुम, थाना पटेवा, जिला महासमुन्द, पिन–493551

7. चन्द्रशेखर ध्रुव पिता श्री हीरालाल ध्रुव, पता–ग्राम खपरी, पोस्ट–तामासिवनी, विकासखण्ड–आरंग, जिला रायपुर पिन–493441

8. परितम सोनवानी पिता श्री देवसिंग सोनवनी पता–ग्राम व पोस्ट–बम्हनी, तहसील व जिला महासमुन्द (छ.ग.), पिन–493445

सही / –
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)